औद्योगिक विकास विभाग
उत्तरांचल शासन।
संख्या 316 /औ.वि./07-उद्योग/2006-07
दिनांक : देहरादून : 06 नवम्बर, 2006

कार्यालय ज्ञाप

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन के परिपत्र संख्या–960/औ.वि./07–उद्योग/2004–05 दिनांक 9/10 नवम्बर, 2004 द्वारा निजी औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों के विकास के लिए जारी नीति/दिशा निर्देशों के अधीन महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र के पत्रांक–1642/नि.औ.आ./2006–07 दिनांक 6 अक्टूबर, 2006 से प्राप्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त मै. जिन्दल होलीडेज प्रा.लि., रामनगर रोड, काशीपुर (उधमसिंहनगर) द्वारा ग्राम–महुआखेड़ागंज, तहसील–काशीपुर (जिला–उधमसिंहनगर) में चिन्हित/क्रय अनुबन्धित 69.153 एकड़ भूमि, जिसके खसरा नंबर अनुलग्नक–1 में अंकित हैं, को एतद्द्वारा निम्न प्रतिबन्धों एवं शर्तों के साथ मै. नन्द नगर औद्योगिक आस्थान (फेज–II) नाम से निजी औद्योगिक आस्थान के रूप में अधिसूचित/विनियमित किया जाता है :–

1. इस ज्ञाप के अनुलग्नक–1 में उल्लिखित भूमि के खसरा नंबर भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–50/2003–के.उ.शुल्क दिनांक 10 जून, 2003 के Annexure-II में जिला–उधमसिंहनगर के अन्तर्गत Category-B Proposed Industrial Estates/Areas के रूप में ग्राम–महुआखेड़ागंज, तहसील–काशीपुर के अन्तर्गत अधिसूचित हैं, जिन पर स्थापित होने वाली नई औद्योगिक इकाईयों को (नकारात्मक सूची में सम्मिलित तथा राज्य सरकार द्वारा हतोत्साहित इकाईयों को छोड़कर) विशेष प्रोत्साहन पैकेज का लाभ अनुमन्य होगा।

2. औद्योगिक आस्थान के विकास के लिए, अनुलग्नक–2 में दिये गये जी.आई.डी.सी.आर.–2006 के मार्गदर्शी सिद्धांतों, विधियों/उपविधियों व उपबन्धों का पालन करना होगा।

3. इस औद्योगिक आस्थान की भूमि, आस्थान के प्रवर्तकों द्वारा क्रय अनुबन्धित है। अतः आस्थान के नियोजित विकास हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियमतः भूमि क्रय विलेख पत्र (Sale Deed) निष्पादित कराकर GIDCR–2006 के उपबन्धों के अनुरूप (i) कृषि भू–उपयोग से औद्योगिक भू–उपयोग परिवर्तन सुनिश्चित कराना होगा और (ii) तत्पश्चात् औद्योगिक आस्थान में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों को भवन मानचित्र नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत करानी होगी।

4. औद्योगिक आस्थान के रख–रखाव, अवस्थापना सुविधाओं के विकास का दायित्व, आस्थान के प्रवर्तकों का होगा।

5. औद्योगिक आस्थान के प्रवर्तकों/आवंटी औद्योगिक इकाईयों द्वारा आस्थान में उद्योग स्थापना के उपरान्त उद्योग में 70 प्रतिशत रोजगार/सेवायोजन स्थानीय व प्रदेश के लोगों को उपलब्ध कराया जायेगा।

6. निजी औद्योगिक आस्थान के विकास हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन तथा निदेशक उद्योग, उत्तरांचल द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों, यथाः प्रदेश की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत ऐसी औद्योगिक इकाईयां, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा हतोत्साहित किया जा रहा है अथवा जो नकारात्मक सूची में सम्मिलित है, की स्थापना औद्योगिक आस्थान में नहीं की जायेगी, का पालन किया जायेगा।

7. निजी औद्योगिक आस्थान के विनियमन तथा निर्देशो के क्रियान्वयन हेतु समय–समय पर कार्यकारी निर्देश जारी करने के लिए उद्योग निदेशक, उत्तरांचल सक्षम प्राधिकारी होंगे।

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 3160/सात/तद्‌दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक उद्योग, उत्तरांचल।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3. स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
4. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, देहरादून।
7. अध्यक्ष समस्त उद्योग संघ, उत्तरांचल।
8. जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर।
9. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
10. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तरांचल, देहरादून।
11. सचिव, उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण परिषद, देहरादून।
12. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उधमसिंहनगर।
13. श्री विकास जिन्दल, निदेशक, मै. जिन्दल होलीडेज प्रा.लि., प्रवर्तक मै. नन्द नगर औद्योगिक आस्थान, ग्राम–महुआखेड़ागंज, तहसील–काशीपुर (जिला–उधमसिंहनगर)।
14. NIC Uttaranchal : इस अनुरोध के साथ की अधिसूचना को वैबसाईट पर प्रसारित कर दें।

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

अनुलग्नक–1

औद्योगिक विकास विभाग,
उत्तरांचल शासन।
संख्या 37 /औ.वि./07–उद्योग/08–07
दिनांक : देहरादून : 06 नवम्बर, 2008

<u>निजी औद्योगिक आस्थान का नाम एवं स्थल :</u>

मै. नन्द नगर औद्योगिक आस्थान, फेज–II, ग्राम–महुआखेड़ागंज, काशीपुर (जिला–उधमसिंहनगर)।

राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नंबर	भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)
महुआखेड़ागंज, तहसील–काशीपुर	1182, 1183, 1186, 1187मि., 1188, 1189, 1190, 1217, 1218, 1220, 1222, 1224मि., 1224/1, 1224/2, 1225मि., 1227, 1230, 1232/1, 1232/2, 1249, 1251	69.153

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।